Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 132-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JULY 30, 2025 (SRAVANA 8, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जुलाई, 2025

संख्या 09/83/2024-4C-II.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 214 के साथ पठित धारा 200 के खंड (ड) के उप–खंड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या का०आ० 71/ ह० अ०24/1973/धा० 200 तथा 214/2010 दिनांक 24 मई 2010 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगरपालिका (कीट वाहित रोग नियन्त्रण) उप–विधियां 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्:–

1. ये उप–विधियां हरियाणा नगरपालिका (कीट वाहित रोग नियन्त्रण) (संशोधन) उप–विधियां 2025 कहे जा सकते हैं।

2. **संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगरपालिका (कीट वाहित रोग नियन्त्रण) उप–विधियां, 2010 अधिसूचना संख्या का०आ० 71/ ह० अ०24/1973/धा० 200 तथा 214/2010 दिनांक 24 मई 2010।

(i) पैरा 4, खण्ड (1) में उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक शब्द के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

*"उप सिविल सर्जन (*वेक्टर बोर्न डिजिज*)/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी/जीव विज्ञानी/मुख्य सफाई निरीक्षक"*

(ii) पैरा 5, के शीर्ष में "उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक के कर्तव्य" शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी/जीव विज्ञानी/मुख्य सफाई निरीक्षक के कर्तव्य"

(iii) पैरा 5, में उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक शब्द के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी/जीव विज्ञानी/मुख्य सफाई निरीक्षक"

(iv) पैरा 7, खण्ड (1) तथा (2) में "उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी/जीव विज्ञानी/मुख्य सफाई निरीक्षक"

(v) पैरा 10, में "उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक के कर्तव्य" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी/जीव विज्ञानी/मुख्य सफाई निरीक्षक"

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 30th July, 2025

No. 09/83/2024-4C-II.— In exercise of the powers conferred under Sub-clause (viii) or Clause (e) of Section 200 read with Section 214 of Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), and with reference to Haryana Govt., Urban Local Bodies Department, Notification No. S. O. 71/H. A. 24/1973/S. 200 and 214/2010 dated the 24th May, 2010, the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in Haryana Municipal (Control on Vector Borne Diseases) Bye-Laws, 2010, namely :-

1. These Bye-Laws may be called the Haryana Municipal (Control on Vector Borne Diseases) (Amendment) Bye-Laws, 2025.

2. **Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Municipal (Control on Vector Borne Diseases) Bye-Laws, 2010 Notification No. S. O. 71/H. A. 24/1973/S. 200 and 214/2010 dated 24th May, 2010.

(i) In clause (1) of para 4, the following word shall be substituted in place of Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease)/Chief Sanitary Inspector namely:-

"Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease)/Senior Medical Officer/Medical Officer/Biologist/ Chief Sanitary Inspector".

(ii) In para 5 for heading "Duties of Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease) and Chief Sanitary Inspector", following shall be substituted namely:-

"Duties of Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease)/Senior Medical Officer/Medical Officer/ Biologist/Chief Sanitary Inspector".

(iii) In para 5 for the word Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease)/Chief Sanitary Inspector, following shall be substituted namely:

"Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease)/Senior Medical Officer/Medical Officer/Biologist/ Chief Sanitary Inspector".

(iv) In clause (1) & (2) of para 7 for the word Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease)/Chief Sanitary Inspector", following shall be substituted namely:-

"Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease)/Senior Medical Officer/Medical Officer/Biologist/ Chief Sanitary Inspector".

(v) In para 10 for the word Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease)/Chief Sanitary Inspector", following shall be substituted namely:-

"Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Disease)/Senior Medical Officer/Medical Officer/Biologist/ Chief Sanitary Inspector".

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

12009—C.S.—H.G.P., Pkl.